राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735,फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीएआर/विविध/272 दिनांक :– 18-05-2022

परिपत्र

विषय :– राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन भरे जाने बाबत।

प्रसंग :– निदेशालय का परिपत्र क्रमांक 249 दिनांक 25.04.2022, कार्मिक (क–1) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2022 एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का पत्र दिनांक 11.05.2022 (प्रति संलग्न)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 25.04.2022 के द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022 एवं क्रमांक प.13(51)का/क–1/गो.प्र./2022 दिनांक 22.04.2022 के अनुक्रम में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑन–लाईन भरे जाने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (एपीएआर) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली लागू होना अवगत करवाया गया था।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26.04.2022 के द्वारा राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ऑन–लाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 तक बढ़ाई गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पत्र दिनांक 11.05.2022 में यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के लगभग 44 प्रतिशत कार्मिकों ने एपीएआर ऑन–लाईन भरा जाना प्रारम्भ नहीं किया है। उक्त पत्र में यह अवगत कराते हुए कि गत अनुभव के अनुसार अंतिम तिथि नजदीक आने पर कार्मिकों के द्वारा एक साथ सिस्टम में लॉगिन कर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने से राजकाज सॉफ्टवेयर के सर्वर का Respose स्लो होने की संभावना बनी रहती है, जिससे कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यह अनुरोध किया गया है कि ऑन–लाईन वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र भरे जायें।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के समस्त कार्मिकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र ऑन–लाईन भरना सुनिश्चित करें जिससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

संलग्न :– कार्मिक (क–1) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.04.2022 एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का पत्र दिनांक 11.05.2022

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीएआर/विविध/272 दिनांक :–18-05-2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त कोषाधिकारी।
4. निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/II)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांक 26 APR 2022

–:परिपत्र:–

विषय:– समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.12.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2021 (1 जनवरी 2022 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि इस वर्ष 31 मई 2022 तक अंतिम बार बढाई जाती है एवं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों इस अवधि में ऑन–लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(डॉ.रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. .समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आयुक्तालय, योजना भवन, जयपुर 302005 (राज.)

क्रमांक : F11(443)/DoIT&C/Proj./2021-02385/03118/2022 दिनांक : 11/05/2022

कार्यालयाध्यक्ष
संलग्न विभाग।

विषयः– राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन (APAR/ACR) के संबंध में।

सन्दर्भः– कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 दिनांक 30.03.2022, 22.04.2022 एवं 02.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित परिपत्र के संबंध में संलग्न रिर्पोट के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आपके विभाग के 40 प्रतिशत से भी कम कार्मिकों ने ही अब तक वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन (APAR/ACR) प्रस्तुत किया है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है एवं गत अनुभव के अनुसार अंतिम तिथि नजदीक आने पर कार्मिकों के द्वारा एक साथ सिस्टम में लॉगिन कर वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने से राजकाज सॉफ्टवेयर के सर्वर का Response स्लो होने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे कार्मिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्मिकों को शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाईन वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देशित करावे तथा विभागीय पी.एम.यू. (APAR/ACR Cell) को भी अपने विभाग के कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित करावे।

AD(PI/PII) ESH

संलग्नः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट

(सुशील परिहार)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
2. कार्यालयाध्यक्ष, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/पंचायती राज विभाग/जेल विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/आबकारी विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/पशुपालन विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/सहकारिता विभाग/राजस्व विभाग/जल संसाधन विभाग/खान एवं भूविज्ञान विभाग/कोष एवं लेखा विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. कार्यालय प्रति।

(राजेश भाटिया)
संयुक्त निदेशक

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआईटी एंड सी)
प्रधान मुख्यालय- आईटी बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर(राज.) 302005, भारत
फोन: +91(141) 2224855, 5153225, फैक्स: +91(141) 2222011

Sr. No.	Appointing Department	Total Employees Appointed in Department	No. of Employees - Initiated PAR	Total PAR Initiated	PAR pending with Reportee Officer (प्रतिवेदित अधिकारी)	% Employees PAR not Initiated
1	**Rural Development and Panchayati Raj Department**	**5016**	**115**	**127**	**21**	**97.71%**
2	**Panchayati Raj Department**	**11337**	**361**	**385**	**68**	**96.82%**
3	Jail Department	3302	224	344	87	93.22%
4	**Public Health Engineering**	**25114**	**1889**	**2410**	**421**	**92.48%**
5	**Excise Department**	**1426**	**182**	**189**	**34**	**87.24%**
6	Medical and Health Services	79552	10432	10983	2507	86.89%
7	**Animal Husbandry Department, Jaipur**	**13609**	**2739**	**2764**	**578**	**79.87%**
8	Public Works Department, Jaipur	5362	1213	1452	217	77.38%
9	Cooperative Department	1264	301	358	58	76.19%
10	Department of Revenue	2511	683	746	110	72.80%
11	Water Resources Department	4656	1510	1889	242	67.57%
12	Mines and Geology Department	1107	526	732	75	52.48%
13	Treasuries and Accounts Department	6809	3814	4563	551	43.99%
14	Social Justice & Empowerment department	1370	781	850	83	42.99%